संख्या : 11 / V-आ0-2009-116(आ0)/08

प्रेषक,

आर0के0 सुधांशु
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग
देहरादून ।

आवास अनुभाग-1 देहरादून, दिनांक 16 जनवरी 2010

विषय : वित्तीय वर्ष 2009-10 में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिष्ठान के लिये अनुदान सं0-13 लेखा शीर्षक-2217 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्रथम अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1 के पत्र संख्या- 515/xxvii(1)/2009, दिनांक 28.7.2009 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय व्ययक की स्वीकृतियां जारी किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है, के क्रम में आवास विभाग के शासनादेश सं0 1731/V-आ0-2009-51(आ0)/09 दिनांक 17.8.2009, शासनादेश सं0 1940/V -आ0- 2009-51(आ0)/09 दिनांक 12.10.2009 व शासनादेश सं0 2423/V-आ0-2009-51(आ0)/09 दिनांक 18.12.2009 के द्वारा वचनबद्ध व अवचनबद्ध मदों में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिष्ठान हेतु वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयी थी।

वित्त विभाग के शासनादेश सं0-05/xxvii (1)/2010 दिनांक 07.01.2010 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिये प्रथम अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति की गयी है। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में आवास विभाग के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक अनुदान के रूप में आयोजनेत्तर पक्ष की वचनबद्ध मदों के अन्तर्गत रू0 *1.32 लाख (रूपये एक लाख बत्तीस हजार मात्र)* की धनराशि, निम्नानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते है कि निम्नांकित की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा-

क्र0 संख्या	मद संख्या	स्वीकृत धनराशि (हजार रू0 में)
1	03-मजदूरी	02
2	09- अन्य भत्ता	130
	योग	132

(रूपये एक लाख बत्तीस हजार मात्र)

2. प्रथम अनुपूरक अनुदान द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। मासिक व्यय तथा व्यय का मद विवरण बी0एम0–8 एवं बी0एम0–13 पर हर माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

3. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, डी0जी0एस0 एण्ड डी0 अथवा टेण्डर कोटेशन विषयक नियमों एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार आवश्यक मदों पर ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

5. व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनमें यह स्वीकृत किया जा रहा है।

6. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन–06–नगर एवं ग्राम नियोजन के अधिष्ठान–00–के अन्तर्गत संलग्नकों में उल्लिखित सुसंगत प्रासंगिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या [illegible]–05/XXVII(1)/2008, दिनांक 7.1.2010 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 सुधांशु)
अपर सचिव

संख्या 11 (1)/V-आ0-2009-110(आ0)/08 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून
4. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डॉ0 शैलेश कुमार पन्त)
अनुसचिव